

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या 175 / 18

महादेव मंडल वगैरे

बनाम म.नी मंडल वगैरे

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

स्थानीय पुलिस / आवेक
अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि

शान्त से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अप्रसारित किया गया है, के

उभय पक्षों में युधि-री-संवादन किया है।

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 29/11/2018 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

पौजा - मंदरापौ, थाना - सरिया, जिला - गिरिडीह

खता सं० - 139/151 प्लॉट सं० - 1455 वी - 1456

रकबा - 18 बी० वी 01 बी० कुल 19 बी०

पौष्टी 50 - सरता 14 फीट वी दर्जित महेला का मंडान

50 - परती कदीम, 80 - सरता सं०, 40 - प्रतीय मंडल उपडान

लेखापित



अनु० 40/20

बगोदर - सरिया



अनु० 40/20

बगोदर - सरिया

क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11/1/22	<p>उमय पक्ष अनु०। अनु०। अमितेखी दिनांक 25/1/22 को रखे।</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)</p>	
5/1/22	<p>उमय पक्ष अनु०। अमितेखी दिनांक 24/1/22 को रखे।</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)</p>	
8/1/22	<p>उमय पक्ष अनु०। To 15/1/22</p> <p>१८ </p>	
15/3/22	<p>उमय पक्ष अनु०। अमितेखी दिनांक 29/3/22 को रखे।</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)</p>	
9/3/22	<p>उमय पक्ष अनु०। उमय पक्ष पगानार कई निदिधों से अनुप दिखत हैं। ऐसा उतीत होता है कि उमय पक्ष को बाद में रूचि नहीं है। अतः बाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।</p> <p>१८ </p>	